पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 142/2024
मंझौल थाना काण्ड सं0– 24/2024

दिनांक– 09.03.2026

प्ररूप–क

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल,जिला– बेगूसराय
उपस्थित– अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
दिनांक– 09.03.2026
समान्य पंजी सं0 – 142/2024
सी.आई.एस. सं0 – 24142/2024
मंझौल थाना काण्ड सं0– 24/2024
राज्य बनाम मणिलाल तांती

राज्य/सूचक	श्री नवीन चौधरी, पिता– स्व0 आनंदी चौधरी, साकिन– मंझौल–04, थाना– मंझौल, जिला–बेगूसराय।
सूचक की आरे से विद्वान अधिवक्ता	श्री नितेश कुमार, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकरी, मंझौल (बेगूसराय)
अभियुक्तगण	1. मणिलाल तांती, पिता– स्व0 श्री बौकु तांती, उम्र– 46 वर्ष 2. गुलशन कुमार तांती, पिता– स्व0 श्री बौकु तांती, उम्र– 27 वर्ष सभी साकिन– कमला, थाना– मंझौल, जिला–बेगूसराय ।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री संजीव कुमार महाराज

प्ररूप–ख

अपराध की तिथि	16.05.2024
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	17.05.2024
आरोप पत्र की तिथि	29.06.2024
संज्ञान की धारा	341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0
आरोप गठन की तिथि	29.01.2026
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	07.02.2026

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	25.02.2026
निर्णय की तिथि	09.03.2026
दण्ड सुनाने की तिथि	लागू नहीं।

अभियुक्तगण की विवरणी

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप की धारा	निर्दोष / दोषी	अधिरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजन के लिए विचरण के दौरान निरोध की अवधि
1.	मणिलाल तांती	लागू नहीं	26.09.2025	341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	गुलशन कुमार तांती	लागू नहीं	20.01.2026	341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रारूप–ग

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/अदालत के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
P.W.-1	नवीन चौधरी	सूचक

ख. बचाव पक्ष, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्ष्यों के सूची

क. अभियोजन पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P.1/P.W.1	आवेदक द्वारा थाना पर दिए आवेदन पर हस्ताक्षर

ख. बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. भौतिक साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कोई नहीं।	कोई नहीं।

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 142/2024
मंझौल थाना काण्ड सं0– 24/2024

दिनांक– 09.03.2026

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण धारा– 341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन का सारांश सूचक के फर्द बयान के अनुसार यह है कि दिनांक 16.05.2024 को समय करीब 07 बजे शाम में अभियुक्तगण एकाएक आए और सूचक नवीन चौधरी के साथ गाली–गलौज करने लगे तथा रॉड से मारपीट कर लहुलुहान कर दिए, सूचक के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद मंझौल थाना कांड सं0– 24/2024, दिनांक– 17.05.2024 के रूप में अस्तित्व में आया और अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान प्रारंभ किया।

3. अनुसंधानोपरान्त, अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया, तत्पश्चात उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया, अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।

4. दिनांक 29.01.2026 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसका सारांश न्यायालय में हिंदी में सुनाया गया जिसे सुन कर उन्होंने इंकार किया एवं आगे विचारण का दावा किया।

5. दिनांक 25.02.2026 को अभियोजन का साक्ष्य बंद किया गया, दिनांक 25.02.2026 को द0 प्र0 स0 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तगणों का बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया।

6. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

साक्षियों के साक्ष्य

7. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 01 साक्षी नवीन चौधरी के साक्ष्य का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है।

8. **अभियोजन साक्षी स0 01. नवीन चौधरी है,** यह साक्षी दिनांक 07.02.2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने साक्ष्य का परीक्षण कराया है, मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के बारे में कहा है कि यह केस उन्होंने मणिलाल तांती, गुलशन तांती, सियाराम तांती और भागवती देवी पर किया है। घटना लगभग एक या डेढ़ साल पहले, समय लगभग 07 बजे शाम की है। वह कमला में ताड़ चढ़ रहे थे तभी वहॉ पर सभी अभियुक्तगण आए और गाली–गलौज करने लगे जब वह मना किया तो उसके साथ धक्का–मुक्की करने लगे तो वह गिर गया जिससे उसके सर पर चोट लग गया और ग्रमीण लोग झगड़ा को छुड़ा दिए। उसके वाद वह थाना पर जाकर केस किया और आवेदन बोलकर लिखवाए जिसपर उसका हस्ताक्षर है, पहचान हूँ जिसे प्रदर्श *P-1/P.W.1* अंकित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी स0 01. नवीन चौधरी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि दोनों मुदालय के साथ राजी खुशी के साथ मेल–मिलाप हो गया है। उसे किसने गाली दिया नहीं बता सकता है। पकड़–धकड़ के क्रम में कैसे चोट लग गया वह नहीं बता सकता है और चोट कोई गंभीर प्रकृति का नहीं था। अन्य किसी गवाहों की गवाही करवाना नहीं चाहता है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया जाय तो उसे कोई आपत्ती नहीं है।

मंतव्य

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल 01 साक्षी के साक्ष्य का परीक्षण कराया गया है। जिसमें साक्षी संख्या 01 खुद सूचक है जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के बारे में कहा है कि वह कमला में ताड़ चढ़ रहे थे तभी वहॉ पर सभी अभियुक्तगण आए और गाली–गलौज करने लगे जब वह मना किया तो उसके साथ धक्का–मुक्की करने लगे तो वह गिर गए जिससे उसके सर पर चोट लग गया तथा अभियोजन साक्षी नवीन चौधरी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि दोनों मुदालय के साथ राजी खुशी के साथ मेल–मिलाप हो गया है। उनको किसने गाली दिया नहीं बता सकते है। पकड़–धकड़ के क्रम में कैसे चोट लग गया वह नहीं बता सकते है और चोट कोई गंभीर प्रकृति का नहीं था। उभय पक्षों के द्वारा दिनांक 20.01.2026 को समझौता आवेदन दाखिल है। अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में धारा– 341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के तहत आरोपित है। धारा– 341, 323, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 सुलहनीय है। अतः अभियुक्तगण को सुलह के आधार पर रिहा किया जाता है। जहॉ तक भा0 द0 वि0 की धारा 324 की बात है गवाह की गवाही से यह

प्रतीत होता है कि धक्का–मुक्की तथा पकड़–धकड़ के क्रम में चोट लगा और चोट समान्य प्रकृति का है और अभियोजन पक्ष की ओर से इस वाद में डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही नहीं कराया गया है जिससे अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. अतः इस वाद के अभियुक्तगण **01. मणिलाल तांती, 02. गुलशन कुमार तांती** को आरोपित अपराध की धारा– **341, 323, 324, 504, 506/34 भा0 द0 वि0** के आरोप से **संधि के आलोक** में एवं **धारा– 324 भा0 द0 वि0** के आरोप से **संदेह का लाभ** देते हुए **दोष मुक्त** किया जाता है। तथा इनको इनके प्रतिभुओं सहित बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यलय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियत समय में नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

तिथि :– 09.03.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
मंझौल (बेगूसराय)।

यह निर्णय मेरे द्वारा शुद्धिकृत एवं हस्ताक्षरित कर के खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

ह0/–

तिथि :– 09.03.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
मंझौल (बेगूसराय)।

Date of judgment/ Order	09-03-2026
Date of Reserveing judgemnt/ Order	25-02-2026
Uploading Date	02-04-2026
Uploaded by	Anant Kumar (Steno)